

दिल्ली विश्वविद्यालय University of Delhi

कार्यालय संयुक्त कुलसचिव (संपदा) O/o the Joint Registrar (Estate)

Ref. No. ESTATE/330/Misc./Advisory/D-10563 11021/9692

Dated:18.03.2024

परामर्शिका

यह प्रेक्षित हुआ है कि छात्रावास प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को आवास आवंटन के लिए विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों का पालन नहीं कर रहा है। इसके अलावा, आवंटित आवासों और वाणिज्यिक दुकानों से प्राप्त लाइसेंस शुल्क दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलसचिव के खाते में जमा नहीं किया जा रहा है। अध्यादेश XX (3) के अनुसार, चूंकि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के छात्रावासों का रखरखाव करता है, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी ने एक समान नीति बनाए रखने के लिए छात्रावास प्रशासन को निम्नलिखित सलाह जारी करने की मंजूरी दी है:

- 1.1 विश्वविद्यालय छात्रावास द्वारा संविदा कर्मचारियों को आवास का आवंटन, विश्वविद्यालय आवास आवंटन नियमों के अनुरूप नहीं है। नियमानुसार नियमित कर्मचारियों को ही आवास आवंटित किया जा सकता है।
- 1.2 विश्वविद्यालय के छात्रावास को, छात्रावास कर्मचारी आवास और वाणिज्यिक दुकानों से प्राप्त लाइसेंस शुल्क राशि संपदा अनुभाग को सूचित करते हुए "कुलसचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय" के खाते में जमा करनी होगी।
- 1.3 विश्वविद्यालय के छात्रावास को संपदा अनुभाग के माध्यम से जीएफआर के अनुसार व्यावसायिक गतिविधियों के लिए छात्रावास स्थान के आवंटन के लिए विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन जरूर प्राप्त करना चाहिए।
- 1.4 विश्वविद्यालय के छात्रावास को समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार वाणिज्यिक दुकानों का लाइसेंस शुल्क जरूर तय करना चाहिए। वे इसके लिए विश्वविद्यालय के संपदा अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं।

संयुक्त कुलसचिव (संपदा)



दिल्ली विश्वविद्यालय University of Delhi

दिल्ली Delhi-110007

कार्यालय संयुक्त कुलसचिव (संपदा) O/o the Joint Registrar (Estate)

Ref. No. ESTATE/330/Misc./Advisory/D-10563- 11021 \7692

Dated:18.03.2024

ADVISORY

It has been observed that the hostel administration is not complying with the rules & regulations of the University for the allotment of accommodation to staff. Further, the license fees received from the allotted residences and commercial outlets are not being deposited into the account of the Registrar, University of Delhi. As per Ordinance XX (3), since the University maintains the University Hostels, therefore, the Competent Authority has approved to issue the following advisory to the hostel administration to maintain a uniform policy:

- 1.1 The allotment of accommodation to the contractual employees by the hostel does not align with the University accommodation allotment rules. As per the rules, accommodation can be allotted only to regular employees.
- 1.2 The University hostels must deposit the license fee amount received from the hostel staff accommodation and commercial outlets in the A/c of "the Registrar, University of Delhi" under intimation to the Estate Section.
- 1.3 The University hostels must obtain approval from the Competent Authority of the University for allotment of hostel space for commercial activities as per GFR through the Estate Section.
- 1.4 The University hostels must decide the License fee of the commercial outlets as per the rate prescribed by the University from time to time. They may contact the Estate Section, University of Delhi for the same.

oint Registrar (Estate)